कर्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना करधनी जयपुर पश्चिम

क्रमांक :– 2758 दिनांक :– 23/02/2021

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
झोटवाडा जयपुर पश्चिम

विषय :– सीएम हैल्प लाईन ज्ञानेश कुमार क्रमांक 02210679413540 बाबत मुकदमा नम्बर 143/2021 धारा 395 भा0द0स0 दिनांक 04.02.2021 पुलिस थाना करधनी जयपुर पश्चिम
प्रसंग :– श्रीमान के कार्यालय से प्राप्त ईमेल के सन्दर्भ में।

महोदय,

वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि दिनांक 04.05.2021 को परिवादी श्री दीपक सैनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैनी जाति माली उम्र 23 साल निवासी मालियों की ढाणी गणेश नगर मैन हरनाथपुरा निवारु रोड थाना करधनी जयपुर पश्चिम ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आश्य की पेश कि की आज दिनांक 4 फरवरी 2021 शाम करीब 6 बजे मै दीपक सैनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैनी निवासी गणेश नगर मैन अपने ऑफिस मिनि बैंक पर पूरे दिन के लेन देन का हिसाब कर रहा था उस वक्त अचानक लगभग पांच लोग हाथों मे हथियार लेकर अन्दर आये और मेरे उपर हथियार तान दिये मै कुछ समझपाता उससे पहिले मेरे उपर वार किया और ऑफिस मे लगभग से बने कैबिन के अन्दर ले जाकर बन्धक बना दिया जिसमे गल्ले व मेरे बैग मे बैंक ग्राहको से प्राप्त रकम जो लगभग तीन लाख रुपये थी जो व बैग मे रखा हुआ अन्य सामान जिसमे दुकान की चाबीया बाईक की चाबी मेरा पर्श व चैक बुक तथा अन्य दस्तावेज जो मेरा बैग मे रखता था लूट कर ले गये। सभी अन्दर घुसे तब मास्क लगा रखा था जो अन्दर आकर हटा लिया तथा इनके साथ मेरे बैग मे रखा मेरी दादीजी के नाम का छ लाख रकम भरा हुआ चैक भी ले गये और मेरे मोबाईल भी लूट ले गये साथ ही दुकान मे लगे हुये सी. सी.टी.वी कैमरो की डीवीआर हार्डडिस्क भी काट कर ले गये। मेरे मोबाईल नम्बर 93114582358 8503058986 ये दोनो नम्बर एक मोबाईल मे थे तथा दुसरा मो0न0 8952895720 था जो भी ले गये मै उन लोगो को सामने आने पर पहचान सकता हुं। रिपोर्ट करता कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

आदि पर मुकदमा नम्बर 395/2021 धारा 395 भा0द0स0 मे कायम कर मन आई ओ विनोद कुमार पु0नि0 मशरुफ तफ्तीश हुआ। दौरोन तफ्तीश मुस्तगीस मुकदमा श्री दीपक सैनी से दरियाफ्त की जाकर बयान 161 सीआरपीसी लेखबद्व किये गये। घटना स्थल के आस पडौस मे लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज चैक ककर हुलिये के आधार पर मुलजिमानो की तलाश हेतु पीसीआर आयुक्तालय से नाकाबंदी करवायी गई। प्रकरण हाजा दौराने तलाश माल मुलजिम अमित उर्फ लक्की, राजवीर उर्फ राजवा, दातार सिह, जगदीप व निखिल को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से हथियार व कारतुस बरामद किये गये। मुलजिमानो के कब्जे से काम मे ली गई स्वीफ्ट कार को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया। प्रकरण हाजा मे धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एड की गई। मुलजिमानो से अनुसंधान जारी है।

अत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित है।

थानाधिकारी
पुलिस थाना करधनी
जयपुर पश्चिम

थानाधिकारी
पुलिस थाना करधनी
जयपुर पश्चिम